‘यदि मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा’ बयान पर हाईकोर्ट ने कांग्रेस प्रभारी रंधावा को नोटिस जारी किया

मंत्री दिलावर की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र के खिलाफ बयानबाजी करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार और कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जवाब मांगा

कोटा (कासं)। प्रदेश से कांग्रेस सरकार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी और पंजाब से सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने पीएम नरेंद्र के खिलाफ बयानबाजी करने से जुड़े मामले में राज्य सरकार और कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से जवाब मांगा है। जस्टिस नरेंद्र सिंह ने यह आदेश शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की आपराधिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि 13 मार्च 2023 को कांग्रेस पार्टी का जयपुर में अडानी समूह को लेकर प्रदर्शन था। इस दौरान सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भाषण दिया कि “अडानी को हटाने से कुछ नहीं होगा मोदी को खत्म करो, यदि वह खत्म होगा तो देश बचेगा और यदि मोदी रहा तो देश बर्बाद हो जाएगा”। रंधावा ने अपने भाषण से भीड़ को प्रेरित किया कि वह प्रधानमंत्री की हत्या कर दे। इसे लेकर याचिकाकर्ता तत्कालीन विधायक और वर्तमान मंत्री मदन दिलावर की ओर से कोटा के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-6 के समक्ष परिवाद पेश किया गया था। जिस पर अदालत में 15 मई 2023 को सुनवाई करते हुए महावीर नगर थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे।

इस आदेश के खिलाफ थानाधिकारी और रंधावा ने एडीजे क्रम 5 अदालत में रिवीजन अर्जी पेश की थी जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए 27 अक्टूबर 2023 को निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा गया कि थाना अधिकारी को निचली अदालत के आदेश की पालना करनी चाहिए थी। उन्हें मामलों के तथ्यों की जांच कर उसे पर अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसके बावजूद उन्होंने बिना अधिकार आदेश को अपीलीय अदालत में चुनौती दे दी। जबकि ऐसा करने कि उन्हें कानूनी शक्ति ही नहीं थी। इसके अलावा निचली अदालत का आदेश एक अंतरिम आदेश था। इस आदेश की रिवीजन करने के बजाय सीधे हाई कोर्ट में याचिका पेश होनी चाहिए थी। इसलिए एडीजे कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राज्य सरकार और रंधावा से जवाब मांगा है। यह जवाब चार हफ्ते के अंदर पेश करना होगा।

कन्या पूजन किया

कोटा, (निसं)। महावीर नगर विस्तार योजना के संतोषी नगर मेन रोड पर कल्पना चावला पार्क में 1001 कन्याओं का पूजन एवं भव्य भोज का आयोजन किया गया। आयोजक समाजसेवी गोपाल गुप्ता ने बताया की कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधायक प्रह्लाद गुंजल और महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राखी गौतम रही तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता महिला कांग्रेस जिलाध्यक्ष व पार्षद शालिनी गौतम ने दीप प्रज्ज्वलित करके की, कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि समाजसेवी मोहित गौतम, पार्षद अनुराग गौतम, ब्लॉक अध्यक्ष जयेश श्रृंगी, मंडल अध्यक्ष श्याम गौतम, संजय जैन रहे।

जेसिज़ ऑफ कोटा का दो दिवसीय डांडिया रास

कोटा, (निसं)। जेसिज़ ऑफ कोटा द्वारा दो दिवसीय डांडिया कार्यक्रम धरणीधर गार्डन में आयोजित किया गया। समापन सत्र के मुख्य अतिथि कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा रहे। अतिथियों और पदाधिकारियों की उपस्थिति में मां की आराधना के साथ भव्य ‘डांडिया रास’ आयोजित किया गया। डांडिया रास में मस्ती, उत्साह, उमंग, हर्ष, प्रेम और सौहार्द के रंग में सभी सदस्य सराबोर रहे। जेसी के अध्यक्ष मनीष चाण्डक ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कोटा के जेसिज़ के सभी चौप्टर ने मिलकर डांडिया रास का भव्य आयोजन किया। प्रोजेक्ट कॉ-ऑर्डिनेटर पीयूष खंडेलवाल और विनीत अग्रवाल ने बताया कि बच्चों से लेकर युवा और हर उम्र के लोग, बचपन से लेकर पचपन तक, भक्ति और आस्था के साथ गरबा और डांडिया की एक से बढ़कर एक आकर्षक प्रस्तुतियां देते रहे।

पश्चिम मध्य रेल

मुख्य कारखाना प्रबन्धक, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा ■ दिनांक 08.10.2024

भारत के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से **मुख्य कारखाना प्रबन्धक, माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा,** निम्नलिखित कार्य के लिये ई-निविदा आमंत्रित करते है:- **टेण्डर सं.:** M-324-BodyRepair-Ten-02. **कार्य का विवरण: माल डिब्बा मरम्मत कारखाना, कोटा, प.म.रे. में 12 माह की अवधि हेतु माइल्ड स्टील और स्टेनलेस स्टील (बॉक्सएन और बीसीएन ग्रुप) वैगनों में बॉडी मरम्मत का कार्य। अनुमानित लागत: ₹ 4,31,44,650/-. निविदा प्रपत्र राशि:** निल। **बयाना राशि:** ₹ 3,65,700/-. **कार्य पूर्ण करने की अवधि:** 12 माह। **निविदा बंद/खोलने की तारीख और समय:** बंद होगा 11.30 बजे दिनांक 01.11.2024 एवं खोला जाएगा 12.00 बजे दिनांक 01.11.2024. ई-निविदा वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** पर अपलोड कर दी गई है तथा मुख्य कारखाना प्रबन्धक कार्यालय, कोटा के प्रगति अनुभाग के नोटिस बोर्ड पर देखा जा सकता है। ऑफर सिर्फ ई-निविदा के माध्यम से इसी वेबसाइट पर स्वीकार किये जायेंगे। इस निविदा के लिये मैनुअल ऑफर स्वीकार नहीं किये जायेंगे। यदि ऐसा कोई ऑफर प्राप्त होता है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा।

उप मुख्य यांत्रिक इंजी.-II, मा.डि.म.कारखाना, कोटा जं.

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

नगर निगम, कोटा दक्षिण-उत्तर

131 वां राष्ट्रीय **दशहरा** मेला -2024, कोटा

शारदीय नवरात्र की अष्टमी पर होगा माँ दुर्गा का गुणगान

प्रसिद्ध भजन गायक **प्रकाश माली** द्वारा प्रस्तुत

भजन संध्या

सम्माननीय अतिथि

श्री अजीत मेहता — पूर्व विधायक एवं भाजपा जिलाध्यक्ष, टोंक | श्री राजेश बिरला — अध्यक्ष, कोटा नागरिक सहकारी बैंक लि. | श्री राकेश जैन — भाजपा शहर जिलाध्यक्ष, कोटा

दिनांक : 11 अक्टूबर 2024, शुक्रवार समय : रात्रि 8.00 बजे | स्थान : आशापुरा माताजी मंदिर, किशोरपुरा, कोटा

आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं

प्रायोजक : सुखपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी

विनीत : **विवेक राजवंशी,** अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य मेला एवं अन्य उत्सव आयोजन समिति नगर निगम कोटा दक्षिण-उत्तर परिवार

सार-समाचार

वन्दे भारत मेट्रो ट्रेन का परीक्षण

कोटा, (निसं)। सेमीहाई स्पीड ट्रेनों एवं कवच सिस्टम के अधिकांश परीक्षण कोटा मंडल में किए गए है। इसी क्रम में वर्तमान में वन्दे भारत मेट्रों रैक का ट्रायल मंडल में किया जा रहा है। इस रैक का प्रथम दिन 05 अक्टूबर को कोटा-शामगढ़ के बीच अधिकतम 145 किमी प्रति घंटा की गति से ट्रायल किया गया। 16 कोच की वन्दे भारत मेट्रों रैक के ट्रायल के दूसरे दिन 09 अक्टूबर को अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन लखनऊ टीम मंडल के परिचालन विभाग के सहयोग से अप एवं डाउन दिशा में कोटा से आमली स्टेशन के मध्य अधिकतम 130 किमी प्रति घंटा की गति पर सभी प्रकार के ब्रेक लगाकर ब्रेकिंग परीक्षण विभिन्न तकनीकी मानकों के विश्लेषण के लिए किया गया। ट्रायल के दौरान सभी कोचों में समान रूप से यात्रियों के भार के बराबर वजन के बराबर 24.7 टन वजन रख कर लोडेड स्थिति में परीक्षण किया गया। इस ब्रेकिंग ट्रायल के दौरान सूखे ट्रैक की अवस्था में डाउन दिशा में 16 बार एवं अप दिशा में 24 बार आपातकालीन ब्रेक लगाकर डेटा एकत्र किया गया। परीक्षण के तीसरे दिन 11 अक्टूबर को कोटा से सवाई माधोपुर रेल खण्ड पर ब्रेकिंग ट्रायल किया जाएगा। इस रैक का ट्रायल आरडीएसओ के निर्देशक(परीक्षण) बी एम सिद्दकी के निर्देशन में किया जा रहा है। इस ट्रायल में कोटा के ट्रैफिक निरीक्षक अरविंद पाठक एवं लोको निरीक्षक आर एन मीना ने लखनऊ टीम के साथ को-आर्डिनेट किया।

डांडिया एवं गरबा उत्सव आयोजित

कोटा, (निसं)। अखिल ब्राह्मण महासभा ने एक शानदार डांडिया एवं गरबा उत्सव का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न आयु वर्गों के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में मां दुर्गा की भक्ति में देर रात तक डांडिया और गरबा नृत्य किया गया। अध्यक्ष लहरी शंकर गौतम ने बताया कि मुख्य अतिथि विधायक संदीप शर्मा व शुभारंभ माता रानी को दीप प्रज्जोलित कर पूर्व महापौर सुमन श्रृंगी ने किया। संभागीय अध्यक्ष राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि गरबा और गुजरात का पारंपरिक नृत्य उत्सव का मुख्य आकर्षण रहा। प्रतिभागियों ने रंग-बिरंगे परिधानों में सजकर, हाथों में डांडिया लेकर गोल घेरे में नृत्य किया। कार्यक्रम में कई लोकप्रिय गरबा गीत बजाए गए, जिनमें ‘चुनरी झलके रे’, ‘रंग मा रंगाई जाने’, ‘ढोलिडा ढोल रे वगाड’, और ‘केसरिया बालम’ जैसे गीत शामिल थे।

तलवास गुरुकुल मृतकों के परिजनों को संबल प्रदान करने की मांग

कोटा, (निसं)। ब्राह्मण कल्याण परिषद ने तलवास के गुरूकुल में झुलसे बालकों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में बताया कि तलवास में संचालित गुरुकुल में 2 अक्टूबर की रात्रि में आगजनी की घटना से तीन बटुक झुलस गए जिनमें से उपचार के दौरान शिवशंकर शर्मा निवासी मोईकलां कोटा व रितेश शर्मा निवासी बून्दी का देहांत हो गया व अभिजीत शर्मा उपचाराधीन है। इस संबंध में मृतक के परिवारजनों ने देई थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है व घटना को संदिग्ध बताया है। ज्ञापन में बताया कि इस प्रकार की घटना में आकस्मिक मृत्यु हो जाने से परिवार व समाज को काफी क्षति हुई है जिसकी पूर्ति किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती। संयोजक अनिल तिवारी, ब्रज राज गौतम, धर्मेन्द्र दीक्षित ने पीड़ित परिवार जनों में मृत परिवार के सदस्यों को एक-एक करोड़ आर्थिक सहयोग व पीड़ित को 50 लाख रुपए देने सहित मृतक के परिजन को संविदा पर नौकरी और उक्त घटना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में उच्च तकनीकी सीबीआई से जांच की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में जटाशंकर शर्मा, गोविंद शर्मा, किशन पाठक, राजेन्द्र शर्मा, अरुण भार्गव, एसएन शर्मा, दिनेश शर्मा, रूद्रेश भारद्वाज, नहुष व्यास, कुबेर शर्मा, गोपाल शर्मा, नवल शर्मा, देवेन्द्र तिवारी, बुद्धि प्रकाश दाधीच, विजय भारवाज, मनोज शर्मा आदि समाज बंधु शामिल थे।

आईओएए जूनियर में एलन स्टूडेंट्स को दो गोल्ड व एक सिल्वर मैडल

कोटा, (निसं)। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के विद्यार्थी नेशनल व इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में हर वर्ष बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। एलन कॅरियर इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉ.बृजेश माहेश्वरी ने बताया कि इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स फॉर जूनियर 2024 (आईओएए-जूनियर) में एलन के विद्यार्थी प्रांजल दीक्षित व सुमंत गुप्ता ने गोल्ड एवं शशांक कौन्डिल्य ने सिल्वर मैडल हासिल किया है। ये तीनों एलन के रेगुलर क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं। माहेश्वरी ने बताया कि तीसरा आईओएए जूनियर 3 से 10 अक्टूबर 2024 तक काठमांडू, नेपाल में आयोजित किया गया था। स्टूडेंट्स का आईओएए जूनियर ओसीएससी के लिए चयन आईएनजेएसओ में प्रदर्शन के आधार पर किया गया था। ओसीएससी कैम्प नेहरू साइंस सेंटर, मुम्बई में आयोजित हुआ था। जिसमें पूरे देश से कुल 21 विद्यार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 13 एलन से थे। इस कैम्प में विभिन्न लिखित एवं प्रायोगिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर तीन विद्यार्थियों का चयन भारतीय टीम के लिए किया गया।

AU SMALL FINANCE BANK — A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

परिशिष्ट IV (देखें नियम 8 (1) कब्जा सूचना)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए “वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 13(12) का सपठित नियमों के नियम (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में ऋणीयों को मांग सूचना पत्र निम्नलिखित तालिका के अनुसार निर्गमित कर तालिका में राशि 60 दिवस के भीतर चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता/ जमानतदार का नाम /ऋण खाता सं.	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक संपत्ति का विवरण	कब्जे की तारीख
ऋण खाता सं.: L9001060713934335 **बनवारी लाल नागर (ऋणी)**, भगवती बाई (सह-ऋणी)	10 जुलाई 2021 ₹ 624594/- रु. छः लाख चौबीस हजार पांच सौ चौरानबे मात्र 07 जुलाई 2021	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित जगजीवन राम कॉलोनी, जिला - बारां, राजस्थान 325205 **क्षेत्रफल 225 वर्ग फीट**, पूर्व : भागचन्द का मकान, पश्चिम : रोड, उत्तर: रोड, दक्षिण : गली	09 अक्टूबर 2024
ऋण खाता सं.: L9001060119905272 **नवीन कुमार सेन (ऋणी)**, देवीशंकर जी (सह-ऋणी), श्रीमती लीलावती पाटिदार (सह-ऋणी)	12 जनवरी 2023 ₹ 359028/- रु. तीन लाख उनसठ हजार अठाइस मात्र 10 जनवरी 2023	सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग रिहायशी/गैररिहायशी भूमि, बिल्डिंग, स्ट्रक्चर एवं फिक्चर सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 63, पुराना खसरा नं. 275, न्यू-856/275, प्रताप नगर कॉलोनी, गांव - डिगोड खालसा, तहसील - छीपाबरोद, जिला - बारां, राजस्थान **क्षेत्रफल 111.11 वर्ग गज**, पूर्व : रोड, पश्चिम : प्लॉट नं. 82, उत्तर:प्लॉट नं. 62, दक्षिण : प्लॉट नं. 64	09 अक्टूबर 2024

ऋणियों द्वारा वह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणियों को तथा सामान्य जन कों एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) तथा सपठित प्रतिभूतिहित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में उपरोक्त तालिका में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा ग्रहण कर लिया है।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के सन्दर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणियों को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतद् द्वारा सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ कोई व्यवहार उपरोक्त तालिका में वर्णित राशि तथा आगे का ब्याज एवं कुल भुगतान होने तक “एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड” (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक) के प्रभार के अधीन होगा।

स्थान: कोटा दिनांक: 10 अक्टूबर 2024 — **प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

श्री भजनलाल शर्मा, मुख्यमंत्री

अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस

11 अक्टूबर, 2024

सफल समाज का वचन, हर बेटी को जीवन

पीसीपीएनडीटी अधिनियम के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण कानूनी अपराध है

वैधानिक चेतावनी

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम-1994 (PCPNDT) के तहत गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करना अथवा करवाना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। उपरोक्त कृत्य के लिए 3 से 5 वर्ष तक का कारावास एवं 10 हजार से 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

3 लाख रु. तक का इनाम

भ्रूण लिंग परीक्षण की सूचना पर

आपके क्षेत्र में कोई व्यक्ति इस कार्य में लिप्त है तो टोल फ्री नं. 104/108 या वाट्सएप नं. 9799997795 पर शिकायत दर्ज कराएं, मुखबिर की पहचान गोपनीय रखी जाएगी

राजस्थान संवाद

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, (आई.ई.सी.) राजस्थान, जयपुर